सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 4807 / 1014 / 2015 दिनांकः– 04.10.2016

के मामले में:

श्री रिंकू यादव,
गांव – नागल कालिया, D376
पोस्ट – सिरोही बहाली,
तहसील – नारनौल,
जिला – महेन्द्रगढ़–123023
हरियाणा । ..... शिकायतकर्ता

बनाम

वरिष्ठ प्रधान निदेशक, D377
रक्षा मंत्रालय,
राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी,
अम्बाझरी, नागपुर–440021 ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः 09.09.2016

उपस्थितः
1. श्री रिंकू यादव, शिकायतकर्ता ।
2. श्री गोल्डी बाबू, सहायक निदेशक प्रतिवादी की ओर से ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, श्री रिंकू यादव जोकि 50 प्रतिशत अस्थिबाधित व्यक्ति है, ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत भारतीय आयुध निर्माणियां में चार्जमैन के पद के लिए चयनित होने के बावजूद नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने से संबंधित शिकायत दिनांक 20.07.2015 इस न्यायालय में प्रस्तुत की।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि भारतीय आयुध निर्माणियां ने चार्जमैन की सीधी भर्ती के लिए बहुत सारी ट्रेडस के लिए परीक्षा ली थी । इस परीक्षा का परिणाम 23.05.2015 को घोषित किया गया, जिसमें इन्होंने दो लिस्ट निकाली । पहली लिस्ट मैरिट लिस्ट, दूसरी प्रोविजनल सलैक्ट लिस्ट । प्रोविजनल सलेक्ट लिस्ट में उतने ही अभ्यर्थी पास किए जितनी रिक्तियां अधिसूचित की थीं । उस लिस्ट में उनका नाम भी था जो डाकुमैंट वैरिफिकेशन के लिए बनाई थी । उनका डाकुमेन्ट वैरिफिकेशन नागपुर में होना था परन्तु प्रशासनिक कारणों से रोक दिया गया जो 10.06.2015 को होना था । परन्तु

....2 / –

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

17.07.2015 को नान टेक्निकल ट्रेड का परिणाम रिवाइज्ड निकाल दिया गया जिसमें उनका नाम और एक अन्य लड़की का नाम था जोकि दोनों विकलांग ओ.एच. थे जबकि पीएच (ओएच) की तीन रिक्तियां थीं । उन्होंने एक अभ्यर्थी पीएच (ओएच) जिसका नाम ललित कुमार गुप्ता है, उसको पास कर और हमारी जगह ओबीसी के दो अभ्यर्थियों को लिया गया, जिनके नाम राहुल और रीतू छिल्लर हैं, जिनकी ट्रेड नान टेक्निकल है । शिकायतकर्ता ने भारतीय आयुध निर्माणियां से इसके बारे में सूचना लेनी चाही परन्तु फोन पर कोई जवाब नहीं मिला । शिकायतकर्ता ने अपने पीएच (ओएच) हक के लिए शिकायत की है । कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार की जाए और भारतीय आयुध निर्माणियां के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 06.08.2015 के द्वारा उठाया गया । इसके पश्चात् दिनांक 21.09.2015 को स्मरण–पत्र भी जारी किया गया ।

4. प्रतिवादी ने अपने पत्र क्रमांक 1512/सी.एम.आर.ई.सी.टी.टी./एन.ए.डी.पी./2015 दिनांक 07.09.2015 द्वारा सूचित किया कि नान टैक्निकल (ओटीएस) में पीएच (ओएच) की तीन रिक्तियां क्रमशः अनारक्षित (ओएच–1), अनुसूचित जनजाति (ओएच)–1 और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओएच)–1 थी । प्रतिवादी द्वारा इन रिक्तियां में से एक रिक्ति वरिष्ठता के क्रम में श्री ललित कुमार गुप्ता केटेगरी अनारक्षित (पीएच–ओएच) को आबंटित की चूंकि अनारक्षित रिक्ति फैक्टरी ओएफबीए में उपलब्ध थी । इस प्रकार ओएच केटेगरी की शेष रिक्तियां एपीएफ और ओएफकेएटी फैक्टरी में उपलब्ध थीं । वरिष्ठता सूची में द्वितीय अभ्यर्थी सुश्री रेशमा गुप्ता, केटेगरी अनारक्षित (ओएच) का नाम ओएफकेएटी और एमपीएफ फैक्टरियों में अनारक्षित रिक्तियां न होने के कारण चयन हेतु उसके नाम पर विचार नहीं किया गया और अनंतिम चयन सूची में रखा गया । नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अनुपालना में वरिष्ठता सूची में तृतीय अभ्यर्थी श्री रिंकू यादव, ओबीसी ओएच (ओएल) के नाम पर भी एमपीएफ फैक्टरी में नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया गया ।

5. प्रतिवादी से प्राप्त उत्तर दिनांक 07.09..2015 की प्रति शिकायतकर्ता को इस न्यायालय के पत्र दिनांक 08.10.2015 द्वारा उनके टिप्पण/रिज्वाइंडर हेतु भेजी गई थी ।

6. शिकायतकर्ता ने अपने टिप्पण/रिज्वाइंडर दिनांक 16.10.2015 द्वारा निवेदन किया कि राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी, अम्बाझरी, नागपुर से जो टिप्पणी मेरी शिकायत के बावजूद आई है, मैं उससे बिलकुल भी संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि पीएच (ओएच) में उन्होंने 3 सीटें अपने इस टिप्पणी पत्र के अन्तर्गत दिखाने के बावजूद भी उन्होंने श्री ललित कुमार

गुप्ता को ही नियुक्ति पत्र दिया । रेशामा गुप्ता और मुझे नियुक्ति पत्र पहले दे दिया गया था परन्तु बाद में उन्होंने देन से मना कर दिया । हमारे स्थान पर अन्य दो अभ्यर्थियोंको लिया गया, जिनके नाम (1) रितु छिल्लर और (2) राहुल हैं, जोकि विकलांग नहीं हैं । अतः मेरा अनुरोध है कि मेरे मामले में शीघ्र कार्रवाई की जाए ।

7. प्रतिवादी से प्राप्त उत्तर दिनांक 07.09.2015 के संदर्भ में इस न्यायालय के पत्र दिनांक 24.11.2015 द्वारा प्रतिवादी से निम्नलिखित स्पष्टीकरण मांगे गए:—

(1) क्या अनारक्षित (अस्थिबाधित) को दूसरी फैक्टरी में समायोजित यिका गया या उन रिक्तियों को भरा नहीं गया ।

(2) क्या रिक्ति फैक्टरी—वार निकाली गई थी ।

(3) विज्ञापित तीन रिक्तियों में तीन विकलांग उम्मीदवार थे, तो तीनों का चयन क्यों नहीं किया गया ।

(4) उत्तर—पत्र (मास्टर—की) को पुनः जांच करने की जरूरत क्यों पड़ी ।

8. प्रतिवादी ने अपने पत्र दिनांक 07.12.2015 द्वारा सूचित किया कि. किसी एक फैक्टरी की अनारक्षित अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्ति को अन्य फैक्टरी/फैक्टरियों के विरूद्ध समायोजित नहीं किया गया है । चूंकि किसी एक फैक्टरी के लिए निर्दिष्ट रिक्ति को दूसरी दूसरी फैक्टरी में नहीं बदला जा सकता। चार्जमैन की सीधी भर्ती के विज्ञापन की सूचना में राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी द्वारा अंतिम रिक्ति आंकड़े के साथ संशोधित किया जाता है । विकलांगजन अधिनियम , 1995 की धारा 33 के उपबंधों का पालन प्रतिवादी द्वारा किया जा रहा है ।

9. इस न्यायालय के पत्र दिनांक 15.01.2016 द्वारा प्रतिवादी को सूचित किया गया कि वे उपलब्ध ओबीसी ओएच (ओएल) की रिक्ति के विरूद्ध श्री रिंकू यादव के नाम पर विचार कर उसका चयन करें और की गई कार्रवाई से इस न्यायालय को सूचित करें । मामले का तदनुसार निपटारा किया गया । इसके पश्चात् दिनांक 16.05.2016, 08.06. 2016 और 28.06.2016 को स्मरण—पत्र भी भेजे गए ।

10. प्रतिवादी से प्राप्त उत्तरों दिनांक 07.09.2015, 07.12.2015, 08.01.2016, 1406. 2016, 11.0.2016 तथा शिकायतकर्ता के पत्र दिनांक 16.10.2015 के मद्देनजर सुनवाई दिनांक 09.09.2016 को निर्धारित की गई ।

11. दिनांक 09.09.2016 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथनों को दोहराया कि उन्हें विकलांग कोटे के अन्तर्गत भारतीय आयुध निर्मायिां में चार्जमैन के

...4/—

पद के लिए चयनित होने के बावजूद नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया जबकि तीन रिक्तियां विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित थीं । इन रिक्तियों पर अन्य व्यक्तियों को ले लिया गया जोकि विकलांग नहीं थे । अतः हमारे साथ न्याय किया जाए ।

12. प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि पीएच(ओएच) कोटे की तीन रिक्तियां ओएफकेटी, एमपीएफ और ओएफबीए में तीन रिक्तियां थीं । श्री ललित कुमार गुप्ता, जोकि विकलांग व्यक्तियों की मैरिट लिस्ट में प्रथम स्थान पर था, उसका चयन ओएफबीए में अनारक्षित ओएच रिक्ति पर कर लिया गया । सुश्री रेशमा गुप्ता जोकि विकलांग व्यक्तियों की मैरिट लिस्ट में द्वितीय स्थान पर थी, के नाम पर चयन हेतु विचार नहीं किया गया चकि वह अनारक्षित अभ्यर्थी थी और दूसरी अनारक्षित ओएच केटेगरी के लिए रिक्ति उपलब्ध नहीं थीं रिंकू यादव एमपीएफ ओबीसी ओएच रिक्ति के विरूद्ध समायोजित किया जा सकता था परन्तु चूंकि सुश्री रेशमा गुप्ता के नाम पर चयन हेतु विचार नहीं किया गया था, अतः रिंकू यादव जोकि तृतीय स्थान पर था, के नाम पर प्रोविजिनल चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया ।

13. पक्षकारों को सुनने तथा फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय ने संप्रेक्षण किया कि चूंकि रेशमा गुप्ता सामान्य श्रेणी से संबंधित है और एमपीएफ में उत्पन्न रिक्ति ओबीसी ओएच अभ्यर्थी के लिए आरक्षित है और शिकायतकर्ता अकेले ही इस कैटेगरी में उपलब्ध है, इसलिए प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे शिकायतकर्ता की अभ्यर्थता पर विचार करें और उसकी चार्जमैन के पद पर नियुक्ति करें ।

14. मामले की अनुपालना रिपोर्ट इस आदेश की प्राप्ति के 45 दिनों के अन्दर इस न्यायालय को भेजें ।

15. मामले का तद्नुसार निपटारा किया गया ।

(कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त, निःशक्तजन